(21)

(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1424/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.04.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 292/अपील/2012-13.

---

1. श्रीमती अंजूलता पिता चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
   निवासी मलकापुर, तह. व जिला बैतूल
2. श्रीमती मंजूलता पिता चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
   निवासी पुराना बच्चा जेल के पास, टिकारी
   तह. व जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. चन्द्रिका प्रसाद आत्मज श्री सालिकराम वर्मा
2. अनिल पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
3. हरीश पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
4. मुकेश पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
5. ललिता पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
   सभी निवासी टिकारी, तह. व जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिकागण श्रीमती अंजूलता एवं मंजूलता पुत्री श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा ने तहसीलदार, बैतूल के समक्ष संहिता की धारा 178(2) के प्रावधान अंतर्गत ग्राम कढ़ाई स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 3.639 हैक्टेयर तथा झगड़िया स्थित भूमि खसरा नम्बर 68/2, 68/3 क्रमशः रकबा 2.226 एवं 2.226 हैक्टेयर भूमि पर नामांतरण किया जाकर बंटवारा प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर तहसीलदार ने प्रकरण क्र. 62/अ-27/11-12 में दिनांक 21.06.2013 को आदेश पारित कर आवेदन निरस्त किया गया। अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदिकागण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण में दिनांक 29.01.2014 को आदेश पारित किया कि व्यवहार न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि से संबंधित व्यवहार वाद गतिशील होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकृत की गई। साथ ही अपर तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 19.07.2013 (प्रकरण क्रमांक 222/अ-6/12-13) भी निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 27.04.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29.01.2014 निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिकागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आयुक्त द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ नहीं है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(2) आयुक्त द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम की ओर ध्यान न देकर आदेश पारित करने में भूल की है।

(3) आयुक्त द्वारा आवेदिकागण को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान न कर आदेश पारित करने में भूल की है।

(4) अपीलार्थी रामप्यारी की अपील लंबन के दौरान मृत्यु हो जाने पर अन्य अपीलार्थी द्वारा विलोपन की कोई कार्यवाही नहीं की और न ही सूचना दी जो 90 दिवस के भीतर न्यायालय को बताया जाना चाहिए था। किसी भी मृत पक्षकार के पक्ष अथवा विपक्ष में आदेश अथवा सम्यक् कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(5) आयुक्त द्वारा तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बैतूल के प्रकरणों का सूक्ष्मता से अवलोकन न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

(6) न्यायालय आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि तत्कालीन तहसीलदार तथा अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय के आदेश के आदेश की अवमानना प्रकरण व्यवहार न्यायालय में चल रहा है। इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बैतूल की अपील माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में लंबित है, उसे नजरअंदाज कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

(7) आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में संपूर्ण प्रकरण के तथ्यों को न समझाने में त्रुटि की है, क्योंकि विचारण न्यायालय तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन नहीं किया, क्योंकि उक्त दोनों आदेश एक ही विषयवस्तु पर आधारित है। वस्तुतः आवेदकगण आयुक्त के न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय में जिला न्यायाधीश, बैतूल के निर्णय एवं डिक्री की अपील प्रस्तुती का अभिवचन कर दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु आयुक्त, बैतूल द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अंतिम मानकर आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है।

(8) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वह आदेश पूर्णतः अवैधानिक है।

(9) प्रकरण में आयुक्त द्वारा पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और न ही अंतिम तर्क श्रवण का अवसर दिया गया।

(10) आवेदिकागण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलीय आदेश विषयवस्तु के अनुसार- आवेदिकागण द्वारा ग्राम कढ़ाई स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 25 रकबा 3.639 हैक्टेयर तथा झगडिया स्थित खसरा नं. 68/2 रकबा 2.226 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 68/3 रकबा 2.226 हैक्टेयर, जो कि अनावेदक क्र. 1 व 3 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है, का आवेदिकागण अनावेदकगण के नाम बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार को आवेदन पेश किया गया था, जिसे व्यवहार न्यायालय में वादग्रस्त भूल से संबंधित वादलंबित होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया, किन्तु उसी वादग्रस्त भूमि नामांतरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस अपील के प्रचलन में रहते हुए भी अपने प्रकरण क्र. 222/अ-6/12-13 आदेश दिनांक 19.07.2013 द्वारा अनावेदक क्र. 4 के पक्ष में कर दिया गया है, जो कि प्याय प्रक्रिया के विपरीत है।

(11) अपील लम्बर के दौरान तथा व्यवहार वाद लम्बर के दौरान अनावेदक चन्द्रिका प्रसाद द्वारा अपने पुत्र हरीश को तथाकथित रूप से प्रश्नाधीन भूमि का दान पत्र निष्पादित किया और इसी

आधार पर प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण का उदय हुआ। यद्यपित इसके पूर्व ही आवेदिकागण द्वारा बंटवारा प्रकरण लंबित था। नामांतरण एवं बंटवारा की मद पृथक पृथक है, लेकिन अनावेदकगण द्वारा बंटवारा प्रकरण की अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित थी तथा उक्त दोनों प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेख बुलवाया गया। एक ही विषय वस्तु होने से दोनों प्रकरण निरस्त किये गये, किन्तु आयुक्त द्वारा संपूर्ण प्रकरण की परिस्थितियों को ना समझ कर केवल जिला न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अंतिम मानकर आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है।

तर्कों के समर्थन में 2009(2) एम.पी.एल.जे. 247, 2009(2) एम.पी.एल.जे. 251, 2007(2) एम.पी.जे.आर. 303 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 39A/10 आदेश दिनांक 21.12.2010 तथा प्रथम अपील में अपर जिला न्यायाधीश ने प्रकरण क्रमांक सिविल अपील 24A/15 आदेश दिनांक 23.02.2016 द्वारा आवेदिकाओं का दावा खारिज किया है। सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। इन निर्णयों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2017 स्थिर रखा जता है । निगरानी निरस्त की जाती हे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर